उत्तर प्रदेश शासन

नियोजन अनुभाग-3

संख्या-35/2015/1388/35-3-2015-1(51)/2015

लखनऊ: दिनांक: 26 अक्टूबर, 2015

**<u>अधिसूचना</u>**

नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण एवं राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 3 के उप नियम (4) के अनुसरण में राज्य सरकार एतदद्वारा जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने और उसे अद्यतन करने का निर्णय लेती है तथा स्थानीय रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों की सम्बन्धित जानकारी एकत्र करने के लिए प्रदेश में घर-घर जाकर गणना करने सम्बन्धी फील्ड कार्य 16 नवम्बर, 2015 से 15 दिसम्बर, 2015 के मध्य किया जायेगा।

राज प्रताप सिंह

प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-35/2015/1388 (1)/35-3-2015, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, मुद्रण एव लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचनाओं (हिन्दी/अग्रेजी) को उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) प्रकाशित कराकर उसकी 500-500 प्रतियां तत्काल नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, 2-ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली को उनके पत्र सख्या-9/41/2015-सीआरडी(एनपीआर),दिनांक 01.07.2015 के संदर्भ में।

3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।

4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6- निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

7- निदेशक, स्थानीय निकाय, 8वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

8- निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, जनगणना भवन, प्लाट सं0-सी.सी.-1 सेक्टर-जी, अलीगंज, लखनऊ।

9- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/ अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत, उ0प्र0(द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय)।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)

विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।